बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषय : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों (व्याख्याता के पद को छोड़कर) की नियुक्ति हेतु अधिकतम् उम्र सीमा को समाप्त करने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक्ट से आच्छादित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित एवं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पैकेजों को बिहार सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–02 दिनांक 02.01.2003, संकल्प संख्या–6736 दिनांक 04.09.2003 एवं संकल्प संख्या 6758 दिनाक 05.09.2003 तथा विभागीय संकल्प संख्या 1995 दिनांक 30.12.2003 द्वारा उक्त संस्थानों के शिक्षकों के वेतन का पुनरीक्षण तथा सेवा शर्तों (सेवा निवृति आयु सीमा को छोड़कर) का निर्धारण किया गया।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित तथा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पैकेज में अंकित प्रावधानानुसार विभागीय संकल्प संख्या–1738 दिनांक 28.08.2006 द्वारा विषयांकित संस्थानों के शिक्षकों के लिए सेवा निवृति की आयु भी 62 (बासठ) वर्ष निर्धारित की गई है।

3. अभातशीप द्वारा अनुशंसित पैकेजों तथा उसके आधार पर निर्गत संकल्पों द्वारा स्वीकृत संरचना के अनुसार सभी संवर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान है। परंतु नियुक्ति हेतु उम्र की कोई अधीकतम् सीमा निर्धारित नहीं है। विषयांकित संस्थानों में उच्चतर सम्वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्त्ता तथा अनुभव प्राप्त करने में काफी समय लगता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1735 दिनांक 22.06.2006 द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम् उम्र सीमा निर्धारित होने से बहुत सारे शिक्षक निर्धारित अहर्त्ता एवं अनुभव रहते हुए भी उच्चतर संवर्ग के पदों पर नियुक्ति से बंचित रह जाते है।

4. अतः राज्य सरकार ने भली भाँति विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के व्याख्याता की मौलिक कोटि से उच्चतर सभी कोटि के शिक्षकों के पदों पर सीधी नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित अधिकतम् आयु सीमा के बंधेज को समाप्त किया जाय। फलस्वरूप उपर्युक्त सीधी नियुक्तियों में उपर्युक्त अधिकतम् उम्र सीमा का बंधेज लागू नहीं होगा।

आदेश : अतः यह आदेश है कि सर्व साधारण जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी

विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/9/2008

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि.प्रा. (I) व^2– 53/07 2565 /पटना, दिनांक– 11.9.2008

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/9/2008

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि.प्रा. (I) व^2– 53/07 2565 /पटना, दिनांक– 11.9.2008

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2008

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि.प्रा. (I) व^2– 53/07 2565 /पटना, दिनांक– 11.9.2008

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/ सचिव, रा. प्रा. शिक्षा पर्षद/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2008

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – वि.प्रा. (I) व^2– 53/07 2565 /पटना, दिनांक– 11.9.2008

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव, पटना/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2008

सरकार के उप सचिव।